



न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

रा.प्र.क्र. निगरानी-3426/2018/बजलपुर/भू-रा दिनांक

श्री ई भू-राजस्व आवेदक/प्रार्थी:- अमर सींग गौड़ पिता श्री रतीराम सींग (आदिवासी गौड़) निवासी- म.नं.29, ग्राम टीगन पोस्ट घाटपिपरिया थाना बरगी तहसील व जिला जबलपुर।

विरुद्ध

अनावेदक/केता:- 1. आदित्य ग्रोवर पिता श्री अजय कुमार ग्रोवर 2. श्री मयंक ग्रोवर पिता श्री अजय कुमार ग्रोवर, दोनों निवासी म.नं. 6, नर्मदा रोड, हनुमान मंदिर के पीछे, आदर्श नगर जबलपुर जिला जबलपुर।

2. म.प्र. शासन।

विषय:- म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (6) के तहत प्रस्तुत न्यायालय कलेक्टर जबलपुर के आदेश के विरुद्ध धारा 50 के अंतर्गत निगरानी अपील।

संदर्भ:- म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (6) के तहत प्रस्तुत माननीय न्यायालय कलेक्टर जबलपुर से निर्णीत प्रकरण क्रमांक 121/अ-21/2016-17 आदेश दिनांक 23.01.2018।

महोदय,

मैं आवेदक विनयपूर्वक निम्न कथन करता हूँ कि:-

1. यह कि मैं आवेदक म.प्र. भू. राजस्व संहिता में दर्ज एबारीजनल ट्राईब जाति का है, मुझ आवेदक के भूमि स्वामी हक्क मालिकाना की कृषि भूमि ग्राम डगडगौआ प.ह.नं. 26, रा. नि. मं. जबलपुर-2, तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 106 रकवा- 0.540 हे0, खसरा नं. 107/1 रकवा- 0.270 हे. खसरा नंबर 107/2 रकवा- 0.270 हे. तीनों भूमियों का सम्मिलित रकवा- 1.08 हे. भूमि है जिसे मैंने अनावेदकगणों को 16,50,000/- अंकन सोलह लाख पचास हजार रुपयों में विक्रय करना तय किया और न्यायालय कलेक्टर जबलपुर के यहाँ विक्रय अनुमति बाबद् एक प्रकरण म.प्र. भू. राज. संहित 1959 की धारा 165 (6) के तहत प्रस्तुत की जिसे माननीय कलेक्टर न्यायालय जबलपुर ने महत्वपूर्ण तथ्यों की अनदेखी करते हुए, मनगढ़त तथ्यों के आधार पर खारिज कर दी है, विक्रय अनुमति प्रदान नहीं की है।

...2...

अमरसिंह

XXXIX(a)BR(H)-11

- 2 -

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, गवालियर

प्रकरण क्रमांक - निगरानी/3426/2018/जबलपुर/भू0रा0

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6/6/18	<p>प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 121/अ-21/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 23-1-18 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 (2) के तहत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। यह प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है जिसमें उनके द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम मौजा डगडगोवा प0ह0नं0 26 रा0नि0मं0 जबलपुर 2 तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं0 106 रकबा 0.540 हैक्टर, खसरा नं0 107/1 रकबा 0.270 हैक्टर एवं खसरा नं0 107/2 रकबा 0.270 हैक्टर को गैर आदिवासी अनावेदक क्रमांक 1 एवं 2 को विक्रय किए जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है। उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया। अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त आवेदन तहसीलदार को जांच हेतु भेजा। तहसीलदार ने जांच कर अपना प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रेषित किया गया। तदुपरांत कलेक्टर ने आदेश दिनांक 23-1-18 द्वारा आवेदक का भूमि</p>	

अमरसींग गौड विरुद्ध आदित्य ग्रोवर एवं अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकार्य भाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>विक्रय की अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन निरस्त किया । कलेक्टर के इसी आदेश के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है । अभिलेख को देखने से स्पष्ट होता है कि कलेक्टर ने यह मानते हुए कि आवेदक का नाम प्रश्नाधीन भूमि में दिनांक 30-6-15 को दर्ज किया गया इसके डेढ़ वर्ष बाद आवेदक द्वारा आवेदित भूमि विक्रय का आवेदन दिया गया है जो संदेहास्पद है और बेनामी अंतरण की श्रेणी में आता है, आवेदक का आवेदन निरस्त किया है । आवेदक की ओर से भूमि विक्रय हेतु दिए गए तर्कों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को अनदेखा किया गया है कि आवेदित भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है और भूमि पर नाम दर्ज होने के डेढ़ वर्ष के अंदर उसे विक्रय नहीं किया जा सकता, इस प्रकार का कोई प्रावधान संहिता में नहीं है । चूंकि आवेदक आदिम जनजाति का सदस्य है, इस कारण उसके द्वारा भूमि विक्रय करने की अनुमति मांगी गई है । अभिलेख के अनुसार आवेदक के पास 8.650 हैक्टर भूमि शेष बच रही है जो अनुसार उसके जीवनयापन हेतु पर्याप्त है । आवेदक द्वारा भूमि विक्रय के जो कारण बताए गए हैं उन्हें देखते हुए तथा आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिए गए इस तर्क को ध्यान में रखते हुए कि उसके साथ कोई छलकपट नहीं हो रहा है बल्कि क्रेता द्वारा उसे कलेक्टर गाइड लाइन से अधिक मूल्य दिया जा रहा है, आवेदक को उसके भूमिस्वामित्व की आवेदित भूमि को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अङ्गचन प्रतीत नहीं होती है । अतः प्रकरण की समग्र स्थिति पर विचार के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुए को आवेदक को उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम डगडगौवा</p>	

3/2

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निगरानी/3426/2018/जबलपुर/भू0रा0

स्थान तथा
दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं
अभिभाषकों आदि
के हस्ताक्षर

प0ह0नं0 26 रा0नि0मं0 जबलपुर 2 तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं0 106 रकबा 0.540 हैक्टर, खसरा नं0 107/1 रकबा 0.270 हैक्टर एवं खसरा नं0 107/2 रकबा 0.270 हैक्टर को गैर आदिवासी अनावेदक क्रमांक 1 एवं 2 को विक्रय किए जाने की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाती है कि क्रेता द्वारा विक्रयपत्र के निष्पादन के समय प्रचलित कलेक्टर गाइड लाइन से भूमि का मूल्य अदा किया जायेगा। उप पंजीयक को निर्देशित किया जाता है कि वे सुनिश्चित करें कि क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) बैंकर चेक/बैंक ड्राफ्ट/नेट बैंकिंग से आवेदक के खाते में जमा की जायेगी।

परिणामतः यह निगरानी स्वीकार की जाती है। पक्षकार सूचित हों।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशाठ सदस्य